



संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा) / A3-27/2014

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून: दिनांक 25 जनवरी, 2023

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 925 दिनांक 20.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलसचिव द्वारा श्री गुरुनानक डिग्री कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित मा० कुलाधिपति की स्वीकृति हेतु इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री गुरुनानक डिग्री कॉलेज, प्रीत विहार, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	बी०बी०ए०	60 सीट प्रति सत्र	2020-21 एवं 2021-22

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान में मानकानुसार भवन, पुस्तकालय एवं फैंकल्टी पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा अन्यथा की स्थिति में संस्थान के अग्रोत्तर सत्रों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- संस्थान द्वारा अध्ययनरत् दात्रों की प्रायोगिक शिक्षा एव इंटरनशिप/विजिट के लिए जिन समूहों, विभागों एवं कम्पनियों के साथ अनुबन्ध (M.O.U) किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- यदि किसी पाठ्यक्रम के तकनीकी मानक राष्ट्रीय स्तर के किसी नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हो तो विश्वविद्यालय द्वारा 03 माह के भीतर सम्बन्धित पाठ्यक्रम के मानक निर्धारित किये जायेंगे।

क्रमशः-

: 2 :

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 394 / (1) / जी०एस० / शिक्षा / A3-27/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, श्री गुरुनानक डिग्री कॉलेज, प्रीत विहार, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति-एस० मदीरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।